

रक्षा मंत्रालय

गैर पेंशनधारक पूर्व कर्मचारियों/विधवाओं के गरीबी अनुदान में बढ़ोत्तरी की गई

Posted On: 08 JUN 2017 7:46PM by PIB Delhi

भारत ने गैर पेंशनधारक पूर्व कर्मचारियों/विधवाओं का गरीबी अनुदान प्रतिमाह 1000 रुपये की मौजूदा दर से बढ़ाकर प्रतिमाह 4000 रुपये कर दिया है। रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली ने पूर्व सैनिक कर्मचारी संघ राज्य सैनिक बोर्ड, पूर्व-कर्मचारी/विधवाओं सिहत विभिन्न हितधारक की मांगों को मानते हुए गरीबी अनुदान में बढ़ोतरी को स्वीकार कर लिया है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल श्री एन एन वोहरा ने राशि को 4000 रुपये तक बढ़ाने के संबंध में श्री जेटली को प्रस्ताव भेजा था।

यह अनुदान केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से उन गैर-पेंशनधारक पूर्व कर्मचारियों/विधवाओं को दिया जाएगा जिनकी उम्र पूर्व कर्मचारी कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय के अनुसार 65 वर्ष से अधिक होगी।

गरीबी अनुदान में बढ़ोतरी का कदम बड़ी संख्या में उन पूर्व कर्मचारियों और विधवाओं को लाभ पहुंचाएगा जो गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 30,000 रुपये के एकमुश्त अनुदान को अंतिम बार अक्टूबर 2011 में संशोधित कर 1000 रुपये मासिक कर दिया गया था।

वीके/पीएम/एल-1673

(Release ID: 1492303) Visitor Counter: 6









in